

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 12, शक 1942

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक/एफ 15-35/15-02/2019/22/22.— छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये “जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019” विभाग के अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/22/23 दिनांक 03.08.2020 जारी की गई थी।

(2) उक्त पुनर्गठन योजना के क्रियान्वयन के दौरान, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में विभिन्न याचिकायें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश दिनांक 22.11.2019 द्वारा, विभाग की उक्त अधिसूचना की कंडिका 08 को अपास्त किया गया, किन्तु सोसाइटी के पुनर्गठन की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई गई।

(3) तदपश्चात छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 16-ग की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन द्वारा प्रदेश

की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये, आगामी कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु "प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019" की कंडिका 08-प्रबंध को छोड़कर, कंडिका-5 पुनर्गठन की प्रक्रिया को उपांतरित करने अधिसूचना क्र./एफ 15-35/15-02/2019/1 दिनांक 07.03.2020 जारी की गई।

(4) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की उपांतरित कंडिका 05-(च) के अनुपालन में पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा परीक्षण उपरांत "प्राथमिक साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019" के क्रियान्वयन हेतु अनुसूची-एक, दो एवं तीन प्रस्तुत किया है।

(5) अतएव विभाग द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन की आगामी कार्यवाही हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2020 की कंडिका 05-(छ) के अनुसरण में, राज्य शासन एतद् द्वारा, जिले के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित करने के लिये पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रेषित अनुसूची - एक, दो एवं तीन को जारी करता है। हितबद्ध पक्षकार या कोई व्यक्ति अपना अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति विभाग के ई-मेल आई.डी. osd.coop-cg@nic.in में या पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में दिनांक 10.09.2020 तक प्रस्तुत कर सकेंगे। निर्धारित दिनांक के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन, दावा या आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। अभ्यावेदनों, दावा या आपत्ति पर राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा, जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा।

(6) प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण कर प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना 2019 की अनुसूची-एक, दो एवं तीन का अंतिम प्रकाशन कर, पुनर्गठन योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

संलग्न :- अनुसूची - एक, दो एवं तीन

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.एस. सर्पराज, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन योजना, 2019
जिला कोरिया
अनुसूची-एक

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसायटी जिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)
1	2	3	4
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सोनहत	अमहर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, रजौली
2	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, खड़गवां	जिल्लीबांध ठग्गांव, बहालपुर, दुग्गी, सिंघत	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जिल्दा आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चिरमी
3	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जनकपुर	जमथान	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गढ़वार
4	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोड़ा	छिपछिपी, भौता, नारायणपुर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, चैनपुर
5	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, कोटाडोल	बरेल, धेबाताल, उमर, उमरवाह, चुटकी	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जनकपुर

अनुसूची-दो

क्र.	विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है (प्रभावित सोसायटी)	नवीन सोसायटी	नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र
1	2	3	4
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, माड़ीसरई	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सिंगरौली	सिंगरौली, अमराडंडी, हरई, डोम्हरा, बेलगांव, चरखर, नौढ़िया, देवगढ़, जनुआ, मरखोही, पड़ौली
2	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, केल्हारी	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, डोड़की	पसौरी, डोड़की, बुलकीटोला, मौहरी, रामानुजनगर, घाघरा, तिलोखन, बहेरा टोला, भुईहारीपारा, धनहर, श्रीरामपुर, बोदरीटोला, चरवाही, केलुआ, आमादमक, खरला, मूडधोवा, भरतपुर, हनुमानपुर
3	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, छिंदडांड	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सलबा	सलबा, सलका, मेकों, करीलधोवा, भंडारपारा, ढोढीबहरा, जालियाडाड, गदबदी, डोंगरीपारा, सारा, लोटानपारा, जगतपुर, दुर्गापुर, नगर, उमझर, तिलवनडाड, विशुनपुर, दूधनियाखुर्द, जूनापारा, शंकरपुर

अनुसूची-तीन

क्र.	विद्यमान सोसाइटी जो प्रभावित है (प्रभावित क्षेत्र)	अपवर्जित कार्यक्षेत्र (ग्रामों का नाम)	विद्यमान सोसाइटीजिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है (परिणामी सोसायटी)	नवीन सोसाइटीजिसमें अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है
1	2	3	4	5
1	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, धौराटिकरा	कंचनपुर, खुटरापारा, बसदेवपुर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जामपारा	—
		खोड़री, डबरीपारा	—	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तरगंवा
		आमापारा, चारपारा	—	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, झरनापारा
2	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जामपारा	चोपन, भखार, तेलईधार	—	
3	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, सरभोका	झरनापारा, कदमनारा, सत्तीपारा, जयपुर, गोलहाघाट, बरपारा, जटासेमर, तमजीरा, सनबोथा	—	
		कसरा	—	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, तरगंवा
4	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पटना	तरगंवा, अमहर, छींदिया, रामपुर, चिरगुड़ा, कोचिला, शिवपुर, पसला	—	
		गिरजापुर, इमरिया, आजीकला, पिपरा, आजोखुर्द, जमड़ी, टेगनी, सावरावा, विलारों, खौड, टेमरी, सोरगा	—	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, गिरजापुर

5	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पोड़ी	रतनपुर, कोटया, बड़ेमुड़ा, धनपुर	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जिल्दा	—
		तोलगा	—	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, बैमा
6	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, जिल्दा	बैमा, बड़ेकलुवा, गेजी, टेडमा, अमका, बारी, मुगुम, गंगापुर, सागरपुर, गणपतपुर, छुरी	—	
		बड़ेसाल्ही, छोटेसाल्ही, सांवला, पंडिता, बचरा, लोटाबहरा	आदिमजाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, पोड़ी	—